be set up in the Third Plan, and whether all these laboratories will be national laboratories or regional laboratories?

Shri Humayun Kabir: We have under contemplation the establishment of two national laboratories and one regional laboratory during the Third Plan.

Shri D. C. Sharma: May I know where the regional laboratory will be located, and whether the Ministry is making any effort to distribute these laboratories equitably among the different regions of the country.

Shri Humayun Kabir: The answer to the first part is that it has not yet been decided; the answer to the second part is: yes.

Shri Chintamoni Panigrahi: We are going to enter the first year of the Third Plan in 1961-62. So, can we not know what the exact programmes are which the Ministry is taking up for the first year of the Third Plan?

Shri Humayun Kabir: I have already indicated that if anything is asked about the Third Plan. I will certainly give a reply, but the finalisation of the scientific programme is, to my mind, a very difficult question to answer.

Shri Chintamoni Panigrahi: Let us know about the first year of the Third Plan.

Mr. Speaker: He wants notice.

Shri Humayun Kabir: I can give the reply if he wants.

Shri D. C. Sharma: What is the approximate amount of money to be set apart for the development of scientific and industrial research during the Third Plan?

Shri Humayun Kabir: For development during the Third Plan, the tentative allocation is Rs. 30 crores, but it has not yet been finalised.

अलीगढ़ विश्वविद्यालय जांच समिति

+

*६०. श्री प्रकाशवीर शास्त्री :
श्री हरिश्चन्द्र माथुर :
श्री भक्त दर्शन :
श्री नवल प्रभाकर :
श्री अजीत सिंह सरहदी :
श्री रामेश्वर टांटिया :
श्री खुशवक्त राय :
श्री रघुनाथ सिंह :
श्री आसर :
श्री अरविन्द घोषाल :
श्री विभूति मिश्र :
श्री पांगरकर :
श्री अय्यकण्णु :
डा० राम सुभग सिंह :

क्या शिक्षा मंत्री २४ नवम्बर, १९६० के अतारांकित प्रश्न संख्या ६९५ के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या अलीगढ़ विश्वविद्यालय जांच समिति ने अपनी रिपोर्ट पेश कर दी है ;

(ख) यदि हां, तो रिपोर्ट की मुख्य सिफारिशें क्या हैं ;

(ग) सरकार ने रिपोर्ट पर यदि कोई कार्यवाही की है तो वह क्या है ; और

(घ) क्या रिपोर्ट की एक प्रति सभा-पटल पर रखी जायेगी ?

शिक्षा मंत्री (डा० का० ला० श्रीमाली) : (क) जी, हां।

(ख) से (घ) . अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय की कार्यकारिणी परिषद् ने अपनी १२ और १३ फरवरी १९६१ की बैठक में एक उप-समिति नियुक्त की है जिस में परिषद् के ही सदस्य हैं । यह समिति जांच समिति द्वारा दी गई रिपोर्ट की परीक्षा करेगी और जितनी जल्दी हो सकेगा अपने विचार परिषद् के सामने रखेगी । इस बीच में विश्वविद्यालय

के अधिकारियों ने रिपोर्ट छपवाने के लिए कार्रवाई की है। प्राप्त होते ही रिपोर्ट और उस में की गई सिफारिशों का सारांश सभा-पटल पर रख दिया जाएगा। रिपोर्ट के संबंध में कार्यकारिणी परिषद् के विचार मालूम हो जाने पर ही इस बात पर विचार किया जाएगा कि सरकार को क्या कार्रवाही करनी चाहिए।

I shall also read in English.

(a) Yes, Sir.

(b) to (d). At its meeting held on the 12th & 13th February, 1961, the Executive Council of the Aligarh Muslim University has appointed a sub-Commitee of its own members to examine the Report of the Enquiry Committee and submit its views to the Council at the earliest possible date. The University authorities have meanwhile taken steps to get the copies of the Report printed and the same, together with a summary of its recommendations, will be laid on the Table of the House as soon as received. The action, if any, to be taken by Government will be considered when the views of the Executive Council on the Report are available.

श्री प्रकाश वीर शास्त्री : मूल प्रश्न में तो यह पूछा गया है कि जांच समिति की मुख्य सिफ़ारिशें क्या हैं और माननीय मंत्री जी ने यह बताया है कि कार्यकारिणी परिषद् ने एक समिति बनाई है, जो उस पर विचार कर रही है। परन्तु ये सिफारिशें समाचार पत्रों में तो प्रकाशित हो चुकी हैं। क्या वे शिक्षा मंत्रालय को अभी तक प्राप्त नहीं हुई हैं ?

डा० का० ला० श्रीमाली : शिक्षा मंत्रालय में एक कापी आ गई है। मैं तीन चार रोज से में रिपोर्ट को सदन की टेबल पर रखूंगा, ताकि सब मेम्बर देख सकें कि क्या सिफ़ारिशें हैं ?

श्री प्रकाश वीर शास्त्री : मैं यह जानना चाहता हूं कि क्या शिक्षा मंत्री जी को ऐसी भी जानकारी मिली है कि जांच समिति के किसी सदस्य से पंजाब सरकार ने यह पूछा कि उन्होंने पंजाब सरकार से बिना अनुमति लिये हुए जांच समिति में सम्मिलित होना क्यों स्वीकार किया और अब ऐसी स्थिति है कि उन को पंजाब सरकार केअधीन उस पद से, जहां वह काम कर रहे थे, त्यागपत्र देना पड़ा है ? यदि हां, तो क्या उन्होंने इस सम्बन्ध में पंजाब सरकार से जानकारी ली है ?

Mr. Speaker: What was the Punjab Government to do with this?

Shri Vajpayee: One of the Enquiry Committee Members was from Punjab and the Punjab Government has taken exception to his inclusion in the enquiry committee.

डा० का० ला० श्रीमाली : यह तो सच है कि वहां के इलैक्ट्रिसिटी बोर्ड के सदस्य इस कमेटी के मेम्बर थे और यह भी सच है कि उन से पूछा गया था कि उन्होंने बिना सरकार को पूछे कमिटी की सदस्यता क्यों मंजूर की, लेकिन जहां तक मुझे मालूम है, उन के इस्तीफ़े का सम्बन्ध इस एन्क्वायरी से कुछ नहीं है। दूसरे कारणों से उन पर यह कार्यवाही की गई होगी।

श्री प्रकाश वीर शास्त्री : जिस समय जांच समिति कार्य कर रही थी, क्या उस समय भी शिक्षा मंत्री जी की जानकारी में इस प्रकार के प्रश्न आये थे कि जो लोग समिति के समक्ष गवाहियां देने के लिए आये थे, उन के साथ एसे व्यवहार किये गये कि वे स्पष्ट और निष्पक्ष रूप से समिति के समक्ष अपनी गवाहियां न दे सके ?

लेकिन उस के पश्चात् भी जिन लोगों ने समिति के समक्ष गवाहियां दीं, उन को विश्वविद्यालय में परेशान किया जा रहा है, यदि हां तो क्या शिक्षा मंत्री महोदय इस प्रकार के निर्देश उक्त विश्वविद्यालय के उपकुलपति को देंगे

कि इस प्रकार की कार्रवाई को रोका जाए ?

डा० का० ला० श्रीमाली : अभी तक इसकी कोई इत्तिला नहीं है। आप अगर कोई इस तरह का उदाहरण मुझे दें तो मैं अवश्य उपकुलपति को लिखूंगा।

श्री प्रकाश वीर शास्त्री : इत्तिला तो आपको उसी समय हो गई थी जब कि इंजीनियरिंग कालेज के प्रिंसिपल को पीटने का काण्ड हुआ था। एक दूसरे डिपार्टमेंट का हैड था, उन के खिलाफ यूनिवर्स्टी ने डिपार्टमेंटल इनक्वायरी बिठाई थी तथा और भी जो लोग ज्यों त्यों कर के गवाहियां देने के लिए आए थे, उनको भी इस प्रकार से प्र परेशान किया जा रहा है ।

डा० का० ला० श्रीमाली : यह सच है कि एक साहब पीटे गये थे। लेकिन यह भी निश्चित रूप से नहीं कहा जा सकता है कि इस इनक्वायरी से उसका कोई सम्बन्ध था।

श्री भक्त दर्शन : मैं जानना चाहता हूं कि कार्यकारिणी परिषद् ने जो उप-समिति नियुक्त की है वह कितना समय विचार करने में लगायेगी, उस के बाद परिषद् स्वयं कितना समय लगायेगी और फिर सरकार कितना समय लगायेगी और कब इन सिफारिशों को कार्यान्वित किया जा सकेगा ?

डा० का० ला० श्रीमाली : रिपोर्ट मैं तीन चार दिन में सदन के सामने रख दूंगा। जहां तक मुझे मालूम है मार्च के प्रथम सप्ताह में यह रिपोट एग्जेक्टिव काउंसिल के पास चली जाएगी और उस के ऊपर शीघ्र ही कारवाई की जाएगी, ज्यादा देर नहीं लगेगी।

श्री भक्त दर्शन : चूंकि जब एक बार शासन किसी सम्बन्ध में कोई निर्णय कर लेता है तो उसको बदला नहीं जाता क्योंकि यह एक प्रतिष्ठा का प्रश्न बन जाता है इसलिए कोई निर्णय करने से पहले क्या इस सदन के माननीय सदस्यों को अपने विचार प्रकट करने का मौका दिया जायगा ?

डा० का० ला० श्रीमाली : जी हां, अवश्य ?

श्री वाजपेयी : क्या यह सच है कि शिक्षा मंत्री महोदय ने जिन अध्यापक महोदय के पीटे जाने का उल्लेख किया था वह जब जांच समिति के सामने गए तो जांच समिति ने इस सम्बन्ध में कोई भी जांच पड़ताल करने से इन्कार कर दिया और उन को कहा कि आपके लिए पुलिस का दरवाजा खुला हुआ है, आप वहां जा कर अपनी शिकायत लिखवायें ?

डा० का० ला० श्रीमाली : जहां मारपीट होती है वहां पुलिस को ही जाना पड़ता है और पुलिस ही उसका फैसला कर सकती है। माननीय सदस्य को कुछ मालूम था तो उनको चाहिये था कि वह कमेटी के सामने गवाही देने के लिए जाते। जहां तक मुझे मालूम है माननीय सदस्य को गवाही देने के लिए बुलाया गया था लेकिन वह गवाही देने के लिए नहीं गए ।

श्री वाजपेयी : On a point of clarification. Sir, गवाही देने के लिए क्यों नहीं गया, इस के बारे में मैं कहना चाहता हूं कि समिति ने जो तिथियां नियत की थीं, वे मेरे लिए सुविधाजनक नहीं थीं और उन तिथियों में मैं जा नहीं सकता था। मैंने मांग की थी समिति से कि संसद् का जब सत्र चलता हो उस समय मुझे गवाही देने के लिए बुलाया जाए लेकिन ऐसा नहीं हुआ और जो तिथियां मुकर्रर की गई, उनमें जाना मेरे लिए सम्भव नहीं हुआ।

Mr. Speaker: The hon. Member might have immediately written to the Minister. Instead of waiting for a question and for this Budget Session, he could have easily written to the hon. Minister saying that he

was not allowed to appear. Is that not so?

Shri Vajpayee: There was no question of allowing.....

Dr. K. L. Shrimali: If he had written to me, I could easily have requested the committee to make it convenient for him to appear before the committee.

Shri Vajpayee: I did write to the committee.

Mr. Speaker: He might have written to the committee, but the hon. Member knows too well that if the committee was not prepared to do so, he could have written to the hon. Minister. The Minister is here responsible to the House.

Shri Tangamani: It is a peculiar position. A committee is set up, and a Member is willing to give evidence, but the committee is not willing to take it.

श्री जगदीश अवस्थी : अभी माननीय मंत्री जी ने कहा कि जिन सज्जन को पीटा गया था, उनको इसलिए नहीं पीटा गया कि वह गवाही देने जा रहे थे । मैं जानना हूं कि उनको पीटने के अन्य और कौन कौन से कारण थे ?

डा० का० ला० श्रीमाली : मेरा ख्याल है पुलिस में केस चला होगा, मगर मुझे ठीक पता नहीं है और मैं पता करुंगा । बात यह है कि किसी आदमी के साथ अगर इस तरह से मारपीट हो तो उसके ऊपर पुलिस ही कार्रवाई कर सकती है, और कोई क्या कर सकता है ।

Some Hon. Members *rose*—

Mr. Speaker: Order, order. The hon. Minister has said that he will place the report on the Table of the House. In view of the interest that hon. Members are taking in this matter, and since the matter has been coming up here I shall certainly allow a discussion on this report. Then, hon. Members can certainly say that the report is not complete, the committee has not allowed opportunities for persons who offered themselves or that others who offered themselves were prevented by force and otherwise and so on; all these allegations can be made, and then they can be refuted; and if still the allegations are true, and further action is called for, the House may direct as to what more has to be done.

राजा महेन्द्र प्रताप : मैं एक अर्ज करना चाहता हूं । इस यूनिवर्सटी का नाम मुस्लिम यूनिवर्सटी है, इसलिये मेरा कहना यह है कि यह इम्प्रेशन नहीं पड़ने देना चाहिये लोगों पर कि हम लोग जो हिन्दू हैं, वे कुछ ज्यादा उसके पीछे पड़ गए हैं । हमको यह दिखलाना है कि हम हिन्दू जो हैं वे मुसलमानों के साथ और भी ज्यादा मुहब्बत करते हैं ।

Mr. Speaker: Order, order. I am interested in the reputation of the House more than the hon. Member is. The hon. Member, unfortunately, is creating that kind of impression. We have allowed any amount of discussion over the report on the affairs of the Banaras Hindu University. Therefore, this is nothing compared to the opportunities that have been given to discuss the affairs of the Banaras Hindu University. Therefore, even the suggestion that has been made is not right. The hon. Member who has made that suggestion is as much a representative as the hon. Minister who comes from that area or from the nearby area. Hon. Members do much more harm than any good by making that kind of suggestion which seems to be at the back of their minds. I am here to see that no such impression is created; I would not allow any impression to go round that any one community is trying to discriminate against another community on account of communal considerations, and that this Parliament which is the supreme and highest authority in this country has tried to indulge in

communal recriminations; it is absolutely not so. I am really sorry that such an allegation ought to have been made and that kind of an advice from an elder Member ought to have come so far as this matter is concerned.

Raja Mahendra Pratap: I have been a member of the Aligarh court, and, therefore, I know something more about it.

Mr. Speaker: He may know, but he must also have appeared before this committee. He may have been a member of the court, but even he might have erred. This House is superior to the hon. Member, and it is for this House to judge and not independently for any hon. Member. Such kind of aspersions ought not to be made.

Acharya Kripalani: Is it not proper that Government should take steps to see that these communal names are dropped from the names of these universities?

Mr. Speaker: It is a suggestion for action.

Shri Hem Barua: The Enquiry Committee has made a suggestion to the effect that the Muslim character of the University be obliterated by adopting measures in the matter of admission of students and appointment of teachers on merits.

श्री प्रकाश वीर शास्त्री : मैं एक आवश्यक प्रश्न करना चाहता हूं और वह यह है कि इसी सदन में माननीय शिक्षा मंत्री महोदय ने एक बार यह कहा था कि विश्व विद्यालय के उप कुलपति को इस प्रकार का वह परामर्श देंगे कि समिति के समक्ष जब गवाहियां हो तो उन में जहां तक सम्भव हो वह न बैठें। सम्भव है कि उन के शब्दों में और मेरे इन शब्दों में कुछ अन्तर हो लेकिन उन के कथन का सार यही था। मैं जानना चाहता हूं कि कमेटी के चैयरमैन को क्या कुछ व्यक्तियों ने लिख कर ऐसा आवेदन-पत्र भी दिया था कि हम गवाहियां देने के लिए आना चाहते हैं लेकिन उस समिति के समक्ष आना चाहते हैं जिस में उपकुलपति मौजूद न हों ? क्या यह सत्य है कि प्रायः सभी बैठको में जिन में गवाहियां ली गई वह उपस्थित रहे ?

Mr. Speaker: He may reserve his further comments.

डा० का० ला० श्रीमाली : जी हां यह सत्य है कि मैं ने इस सदन में कहा था कि अगर वाइस-चांसलर के खिलाफ कुछ चार्जिज़ हैं तो यह एक मामूली बात है कि उनको कमेटी पर नहीं बैठना चाहिये। इसी सदन में मैं ने यह कहा था और यह मेरी जो राय थी वह वाइस-चांसलर को भी मालूम थी। लेकिन एक्ट में इस तरह का प्राविजन है कि वाइस-चांसलर कमेटी में बैठ सकते हैं और वह बैठे। उनको किसी भी तरह से रोका नहीं जा सकता था।

श्री प्रकाश वीर शास्त्री : मैं जानना चाहता हूं कि क्या किसी सदस्य ने कमेटी के चेयरमैन को लिख कर दिया था कि .....

अध्यक्ष महोदय : आर्डर आर्डर, मि० तारिक ।

श्री अ० मु० तारिक : मैं जानना चाहता हूं कि क्या यह हकीकत है कि वाइस-चांसलर अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सटी अकसर जो मिटिंग्ज़ हुई उन में वह बैठे नहीं और खास तौर पर ऐसी मीटिंग्ज़ में जिन में उनको यह अंदेशा था कि उन के खिलाफ इस किस्म के चार्जिज़ आएंगे, उन्होंने बिल्कुल भी शिरकत नहीं की ?

[شری اے - ایم - طارق - میں جاننا چاہتا ہوں کہ کیا یہ حقیقت ہے کہ وائس چانسلر علی گڑھ مسلم یونیورسٹی اکثر جو میٹنگز ہوئیں ان میں وہ نہیں بیٹھے اور

خاص طور پر ایسی میٹیلنگز میں جن میں از و یہ اندیشہ تھا کہ انکے خلاف اس قسم کے چارجز آئینگے انہوں نے بالکل بھی شرکت نہیں کی]

डा० धी० ला० श्रीमाली : जब गवाहियां ली जा रही थें और जब मीटिंग्ज हो रही थीं तो वाइस चांसलर बराबर मौजूद रहे। जब डेलीब्रेशंस हो रही थी, वहां जब रिपोर्ट तैयार हो रही थी उस वक्त वाइस-चांसलर मौजूद नहीं थे। लेकिन यह सच नहीं है कि वह गवाहियों के वक्त मौजूद नहीं थे । जब गवाहियों हो रहीं थी तो वह बराबर मौजूद थे।

Shri Ansar Harvani: When I appeared before the committee, the Vice-chancellor was not present.

Dr. K. L. Shrimali: I am more sure of my statement than the hon. Member is. The Vice-chancellor was present practically at all the sessions, except one or two about which I do not know. It was only when the committee was deliberating that he was not present. When I make a statement on the floor of the House, the hon. Member should accept it.

Barsua Mines

*91. **Shri Vidya Charan Shukla:** Will the Minister of **Steel, Mines and Fuel** be pleased to state:

(a) whether any time schedule was originally fixed in respect of the development of the Barsua iron ore mines;

(b) whether the work is proceeding according to schedule;

(c) if not, the reasons therefor; and

(d) the steps being taken for early execution of the project in this behalf?

The Parliamentary Secretary to the Minister of Steel, Mines and Fuel (Shri Gajendra Prasad Sinha): (a) Yes, Sir.

(b) to (d). Due to unforeseen difficulties like complicated foundation laying, there has been a delay of eleven months. The ore handling system was ready for operation in November 1960. Trial runs are going on and initial defects are being removed.

Shri Vidya Charan Shukla: May I know if Government have conducted an inquiry to find out much loss has been occasioned to Hindustan Steel because of this delay?

Shri Gajendra Prasad Sinha: Actually there has been no inquiry and no occasion for inquiry. There has been a delay of a year, as I have already stated, and that was because of unforeseen circumstances which could not have been avoided.

Shri Morarka: May I know the price that the Rourkela Steel Plant is paying for purchase of iron ore from other sources as compared to the price which the steel works would have paid if the ore was purchased from Barsua mines?

Shri Gajendra Prasad Sinha: At present, Rourkela purchases iron ore from the State Trading Corporation. Just now I am not in a position to state the exact price which it is paying.

Shri Chintamoni Panigrahi: The hon. Minister stated during the last session that Rourkela is getting iron ore from the Bird and Company through S.T.C. at a cost of Rs. 22 to Rs. 25 per ton whereas the cost of production at Rourkela itself is Rs. 11 per ton. Now he says that he does not know. (*Interruption*).

Shri Gajendra Prasad Sinha: I have already stated that the purchase of iron ore for Rourkela is being made through the State Trading Corporation.